C.NO. 138/2020 गफूरी प्र0 अल्लानूर

08/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0। वकील प्रार्थी एवं वकील वादी की प्रा0पत्र आदेश 10 CPC पर बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया न्यायहित में प्रा.पत्र स्वीकार कर विद्वान अधि. पृथक से लेखबद्ध कर पत्रावली में शामिल किये गये वास्ते बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

15/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0। बंटवारा प्रस्ताव अप्राप्त वास्ते बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली आइंदा को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

25/11/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0।
पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते
बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16/2/2026
को पेश हो।

16/2/2026 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. होकर प्रा0पत्र आदेश 22 R4 वास्ते प्रतिवादी 18 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत का पेश किया व संशोधित शीर्षक पेश किया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश कर जो भू.अ.नि./

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 138/2020

संशोधित वाद शीर्षक

1. गफूरी पत्नि स्व0 श्री ताजू खां (पुत्री स्व0 श्री मस्ती खा) जाति मुसलमान निवासिन ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर राज0
2. धन्नी पत्नी स्व. श्री शमसू खां (पुत्री स्व. श्री मस्ती खा) जाति मुसलमान, निवासिन ग्राम उंटडा, तहसील व जिला अजमेर, राजस्थान जरिये वाद मित्र जाईन्दा पुत्री खातून पुत्री स्व. श्री शमसू खां, (पत्नी दिलदार) जाति मुसलमान, निवासिन पनेर, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर एवं शहनाज पुत्री स्व. श्री शमसू खां (पत्नी मुराद) जाति मुसलमान निवासिन पनेर, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राज0
3. इकरामुद्दीन पुत्र मनवर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम चीताखेडा किशनगढ।
4. फरीद खां पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटडा अजमेर।

वादी

बनाम

1. अलानूर पुत्र स्व. श्री मस्ती खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
2. अमरूद्दीन पुत्र स्व. श्री मस्ती खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
3. माफा बानो पत्नी स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
4. जंगबाज पुत्र स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
5. हैदर अली पुत्र स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
6. आमना बानो पुत्री स्व. श्री कमरू खां, जातिं मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
7. मोहसीना पुत्री स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
8. फिरोजा पुत्री स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
9. श्रीमती सायरी पत्नी बादर खा (पुत्री मस्ती खा), जाति मुसलमान, निवासिन ग्राम चीताखेडा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राज0
10. रहमती पत्नी सवाई खां, जाति मुसलमान निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर, राज0
11. बदरूजमा पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
12. उस्मान पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
13. रमजानी पुत्र सवाई खां जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
14. अब्दुल रहमान पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
15. इकरामुद्दीन पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
16. नूरबाना पुत्री सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0 नाम तर्क
17. सुबान पुत्री सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
18. खाजू खां पुत्र हस्तीखां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0 मृतक जरिये वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

18/1 मरजीना पुत्र खाजू खां
18/2 महबूब पुत्र खाजू खां
18/3 माफिया बानो पत्नी खाजू खां
18/4 मो. नोशाद पुत्र खाजू खां
18/5 युसूफ खां पुत्र खाजू खां
18/6 रेशमा पुत्री खाजू खां
18/7 रसीदा पुत्री खाजू खां
18/8 सहाबुद्दीन पुत्र खाजू खां

19. ताजू खां पुत्र हस्तीखां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राज0
20. नसीर खां पुत्र हस्तीखां जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
21. सुगरी पत्नी हस्तीखां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
23. उप पंजीयक, किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 09/3/2026

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार एवं कुश कुमार — वादी अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादी के द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 88, 188, 53 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद में दावा किया कि वादी संख्या 2 श्रीमती धन्नी गूंगी एवं बहरी हैं तथा उपरोक्त धन्नी के पति का देहावसान हो चुका है एवं धन्नी के दो पुत्रियां क्रमशः खातून एवं शहनाज है। जिनका हित अपनी माता से पूर्णतः जुडा हुआ है। अतः वादी संख्या 2 के हितों के लिये वह गुंगी व बहरी होने के कारण जरिये वाद मित्र उनकी पुत्रियों के माध्यम से यह वाद संस्थित किया गया है। वादीगण के पिता मस्ती खां पुत्र छीतर खां के संयुक्त अधिकार, मिलकीयत की खातेदारी भूमि ख0नं0 104 रकबा 00—12—00, ख0नं0 105 रकबा 15—04—00 एवं ख0नं0 185 रकबा 14—15—00 कुल किता 3 कुल रकबा 30—11—00 भूमि ग्राम रहीमपुरा, पटवार हल्का खातौली तहसील किशनगढ में अवस्थित है जिसमें वादीगण के पिता मस्ती खां पुत्र छीतर खां हिस्से 1/3 के सह खातेदार थे तथा वादीगण के पिता के देहावसान पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित उपबन्धो के विपरीत उपरोक्त भूमि के विरासत का नामान्तरण संख्या 151 दिनांक 27.08.1998 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वाधिकारी कमरू खां पुत्र मस्ती खां के नाम वादीगण को बिना सूचना दिये गलत सजरे के आधार पर दर्ज किया गया था। उपरोक्त नामान्तरण वादीगण के हितों के विरूद्ध जन्म से शून्य व निष्प्रभावी है। वादीगण उपरोक्त मस्ती खां पुत्र छीतर खां की वंशावली अनुसार जाईन्दा पुत्रियां होकर उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 1, 2 सहित कमरू खां पुत्र मस्ती खां के समरूप अपने पिता की विरासत में हक, हिस्सा, अधिकार रखती है। प्रतिवादी संख्या 9 भी उपरोक्त वादीगण की बहन है एवं मस्ती खां पुत्र छीतर खां की पुत्री है। इस परिपेक्ष में प्रतिवादी संख्या 9 भी उपरोक्त भूमि में हित अधिकार रखती है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा वादीगण के साथ वाद में संयुक्त नही होने से तथा आनुपातिक व्यय, वहन नही किये जाने से उनके विरूद्ध पृथक से कोई अनुतोष नही चाहा गया है, किन्तु वह मस्ती खां पुत्र छीतर खां की वंशावली विरासत में सह हिस्सेदार होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वाधिकारी पति/पिता कमरू खां पुत्र मस्ती खां का देहावसान होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त कमरू खां के स्थान पर वादीगण को बिना सूचना दिये नामान्तरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

721 दिनांक 20.03.2018 को दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरण भी वादीगण के हितों के विरूद्ध जन्म से ही शून्य व निष्प्रभावी है। यह पहलू विधि से सुस्थापित है कि, उत्तराधिकार के अधिकारों को त्रुटियुक्त राजस्व रिकार्ड, नामान्तरण के आधार पर उत्तराधिकार अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है एवं नामान्तरण की प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया होकर, केवलमात्र राजस्व की वसूली के लिये ही उक्त प्रविष्टि प्रभावी होती है। **(Mutation is fiscal entry for the collection of land revenue] succession right cannot be deprived by the wrongful mutation)** इस परिपेक्ष में उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि से वादीगण के अपने पिता मस्ती खां के देहावसान से प्राप्त विरासत के अधिकार न तो निसार होते है, न ही समाप्त होते है। वादीगण उपरोक्त भूमि में अपने पिता मस्ती खां पुत्र छीतर खां के इन्तकाल से अपना विरासत अधिकार रखती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 उपरोक्त त्रुटियुक्त विरासत के नामान्तरण के आधार पर उपरोक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने में उद्दत हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का उपरोक्त आचरण अविधिक है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा संयुक्ततः एवं पृथकतः उपरोक्त भूमि विक्रय किये जाने हेतु उत्सुक खरीददारों से सम्पर्क करने की वादीगण को जानकारी मिली तो वादीगण ने दिनांक 01.07.2020 से प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि विक्रय नही किये जाने बाबत् आग्रह किया तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादीगण को बताया कि वह मस्ती खां की विवाहित लडकियां है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं कमरू खां ने गलत वंशावली के आधार पर उन्हे उत्तराधिकार से वंचित रखते हुये मस्ती खां की विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाया है। जिससे वादीगण को दिनांक 01.07.2020 के पश्चात् राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने, नकल प्राप्त करने से प्रथम बार उपरोक्त वर्णित त्रुटियुक्त नामान्तरणों का संज्ञान हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने वादीगण को हाल ही में यह धमकी दी कि, वह मौका पाकर उपरोक्त सम्पत्ति से वादीगण को बलात्, बेदखल कर वादीगण को विरासत के अधिकार से वंचित कर, उपरोक्त सम्पत्ति उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर आधिपत्यविहीन होते हुये भी खुर्द बुर्द करके रहेंगे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का उपरोक्त आचरण, कृत्य अविधिक है एवं वादीगण के हितों के विपरीत है। वादी संख्या 1, 2 विधवा है एवं वादी संख्या 2 तो गूंगी, बहरी है। उसके जीविकोपार्जन का कोई साधन नही है, वह अपने पुत्रियों क्रमशः खातून एवं शहनाज के साथ अधिवास करती है। उपरोक्त वाद वर्णित भूमि संयुक्त, अविभाजित है तथा उसका नींव–सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त भूमि की वर्तमान राजस्व प्रविष्टि वादीगण के हितों के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा यदि प्रतिवादीगण को उपरोक्त अविभाजित कृषि भूमि में से विशिष्ट हिस्से का बैचान किये जाने बाबत् नही रोका गया तो प्रतिवादीगण उपरोक्त अविभाजित भूमि में से विशिष्ट अच्छे हिस्से की भूमि का अजनबी क्रेता को विक्रय कर देंगे तथा इसी प्रकार यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि के आधार पर विक्रय करने से नही रोका गया तो उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 उपरोक्त सम्पत्ति में निहित वादीगण के उपरोक्त साम्पत्तिक अधिकार जो उन्हें विरासतन अपने पिता मस्ती खां पुत्र छीतर खां से प्राप्त हुये है को भी खुर्द बुर्द कर देगी। वाद पत्र में वर्णित वंशावली अनुसार मस्ती खां पुत्र छीतर खां के 6 वारिसान बनते है, जिसमें मस्ती खां के हिस्से 1/3 में से वादी संख्या 1 हिस्से 1/18 की, वादी संख्या 2 हिस्से 1/18 की तथा प्रतिवादी संख्या 1 हिस्से 1/18 के, प्रतिवादी संख्या 2 हिस्से 1/18 के एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 संयुक्ततः हिस्से 1/18 के हिस्सेदार होते है तथा अप्रार्थी संख्या 9 भी मस्ती खां की पुत्री होने के कारण 1/18 हिस्सा रखती है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से 1/3 हिस्से का 1/3 भाग अर्थात् 1/9 हिस्सा एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत रूप से 1/3 हिस्से का 1/3 भाग अर्थात् 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 का संयुक्ततः हिस्से 1/3 का 1/3 भाग अर्थात् 1/9 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त राजस्व प्रविष्टि शून्य व निष्प्रभावी है एवं उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि नामान्तरण से वादीगण के उपरोक्त सम्पत्ति में साम्पत्तिक अधिकार जो मस्ती खां पुत्र छीतर खां के देहावसान पश्चात् उन्हें प्राप्त हुये थे से उपरोक्त प्रविष्टि के आधार पर निरसित नही किये जा सकते है। इस प्रकार वादीगण उपरोक्त मस्ती खां पुत्र छीतर खां की पुत्रियां होने से उसके 1/3 हिस्से में से प्रत्येक वादीगण हिस्से 1/18 के बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध वाद में घोषणा की डिकी अनुतोष प्राप्ति की अधिकारिणी है। वादीगण ने वाद पैरा संख्या 5 में वर्णित कारण से उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व रिकार्ड मस्ती खां पुत्र छीतर खां के विरासत के नामान्तरण एवं पश्चातवृत्ति त्रुटियुक्त प्रविष्टि का संज्ञान होने पर दिनांक 15.07.2020 को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को आग्रह किया कि वह सहमति से वादीगण का नाम मस्ती खां पुत्र छीतर खां की पुत्रियां होने के कारण वादीगण का नाम सही विरासतन दर्ज करवाये तो प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादीगण से लडाई झगडा कर उन्होने वादीगण को धमकी दी कि, वह उपरोक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि के आधार पर उपरोक्त वादीगण के निहित हिस्से की सम्पत्ति कृषि भूमि को भी औने-पौने दामों में खुर्द बुर्द कर देंगे। प्रस्तुत वाद हेतु वाद कारण उपरोक्त 01.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के आचरण से उत्पन्न होकर, आज तक सतत् है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अन्तरविष्ट प्रावधानों अनुसार घोषणा के अनुतोष अधीन वाद अन्दर मयाद अवधि में प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 22 भूमिधारी है। प्रतिवादी संख्या 22 विभाजन के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादी संयोजित किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 23 पंजीयन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वाद को विफल करने के लिये उपरोक्त भूमि में वादीगण के हिस्से को खुर्द बुर्द कर देंगे। अतः उन्हें भी प्रोपर पक्षकार होने से संयोजित किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 22, 23 के विरूद्ध राज्य सरकार के हितों को प्रभावित करने वाला पृथक से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद में अनुतोष त्वरित प्रकृति का होने से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रतिवादी संख्या 22, 23 के विरूद्ध वाद बिना नोटिस दिये प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी पारित की जावे कि, वाद पत्र में वर्णित ग्राम रहीमपुरा की खसरा संख्या 104 रकबा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 चाह, खसरा संख्या 105 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 185 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 30 बीघा 11 बिस्वा में वादी संख्या 1 हिस्से 1/18, वादी संख्या 2 हिस्से 1/18 की सह खातेदार है। इस आशय की घोषणा की डिकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध पारित की जावे तथा उपरोक्त घोषणा की डिकी पारित किये जाने के पश्चात् वादीगण के हिस्से का नींव -सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन कर तथा खसरा संख्या 104 रकबा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 चाह में हिस्से अनुसार ओसरा कायम करने की विभाजन की डिकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के विरूद्ध पारित की जावे एवं अलग-अलग खाता खसरा कायम कर, राजस्व ट्रेस में तरमीम की जावे एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द किया जावें कि, वादीगण के विभाजित हिस्से में प्रतिवादीगण, वादीगण के काश्त कार्यों में बाधा नही करें, वादीगण को बलात्, बेदखल नही करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित की जावे। प्रकरण परिस्थितियों में अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जाना उचित समझती हो की डिक्री भी वादीगण के पक्ष में पारित की जावे। प्रतिवादी को वादपदो के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 1 से 21 व 23 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 22 पैरोकार सरकार के द्वारा दिनांक 19.11.2020 को अपना जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 22 की ओर से पेराकार सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि खातेदार की मृत्यु उपरान्त सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अनुसार वारिसान का नाम दर्ज किया गया एवं वादी ग्राम खातौली एवं रहीमपुरा की निवासी नहीं है। प्रकरण के वाद पत्र एवं जवाब दावा के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये -

(1) आया वादी पैरा सं0 2 में वर्णित ग्राम रहीमपुरा स्थित कृषि भूमि ख0नं0 104, 105 व 185 मस्ती खां पुत्र छीतर खां के संयुक्त अधिकार, मिलकीयत की थी एवं वादीगण उनकी पुत्रिया होने के कारण वादी सं0 1 हिस्से 1/18 की एवं वादी सं0 2 हिस्से 1/18 की खातेदारी, अधिकार घोषणा प्राप्ति की अधिकारी है।

(2) आया वादीगण उपरोक्त भूमि में अपने हिस्से का नींव-सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाने की एवं खसरा संख्या 104 गै0मु0 चाह में हिस्से अनुसार ओसरा कायम करवाने की अधिकारी है।

वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

(3) आया मस्ती खां पुत्र छीतर खां की मृत्यु के पश्चात् सक्षम स्तर से नियमानुसार वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया तथा वादीगण ग्राम खातोली एवं रहीमपुरा में निवास नहीं करती है। अतः वाद कारण के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी सं0 22

5. प्रकरण में पत्रावली के बहस अन्तिम में आने पर वादीगण के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने पर प्रकरण में कायम की गई तनकियात निम्नानुसार तय की गई –

निर्णय तनकी बिन्दु सं0 (1) – पत्रावली के साथ संलग्न प्रदर्श–5 सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खातोली दिनांक 05.05.2017 अनुसार मस्ती खां पुत्र छीतर खां की वर्णित वंशावली अनुसार वादीगण मस्ती खां की पुत्रिया है। अतः वादीगण मस्ती खां की पुत्रीया होने के कारण उनके संयुक्त अधिकारी मिलकीयत की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है तथा प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 21 बावजूद सूचना के न तो न्यायालय में उपस्थित हुए व न ही अपना जवाब पेश किया। अतः किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी बिन्दु सं0 (2) – निर्णय तनकी संख्या 1 के अनुसार वादीगण मस्ती खां की पुत्रिया होने के नाते वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का नींव–सींव से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाने की एवं खसरा संख्या 104 गै0मु0 चाह में हिस्से अनुसार ओसरा कायम करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी बिन्दु सं0 (3) – पत्रावली के साथ संलग्न प्रदर्श–5 सजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खातोली दिनांक 05.05.2017 अनुसार मस्ती खां पुत्र छीतर खां की वर्णित वंशावली अनुसार वादीगण मस्ती खां की पुत्रिया है एवं वाद पत्र में वर्णितानुसार वादीगण शादीशुदा होकर ग्राम ऊंटड़ा में निवास करती है। अतः उक्त तनकी आंशीक रूप से बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 22 निर्णित की जाती है।

5. वाद पत्र में तनकीवार विवेचन के आधार पर आदेश पारित किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए मस्ती खां पुत्र छीतर खां की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वाधिकारी कमरू खां पुत्र मस्ती खां के नाम खोले गये विरासत नामान्तरण संख्या 151 दिनांक 27.08.1998 को शून्य घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख0नं0 104 रकबा 00–12–00, ख0नं0 105 रकबा 15–04–00 एवं ख0नं0 185 रकबा 14–15–00 कुल किता 3 कुल रकबा 30–11–00 में वादीयां सं0 1 को 1/18 हिस्से का, वादीया सं0 2 को 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/18 हिस्से, प्रतिवादी सं0 2 को 1/18 हिस्से, प्रतिवादी सं0 3 लगायत 8 को संयुक्ततः 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 9 को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 21 के मध्य अच्छी मे अच्छी व बुरी में बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया गया।

6. तहसीलदार किशनगढ द्वारा पत्रांक 2026/585 दिनांक 22.01.2026 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 का पेश किया जिसपर हल्का पटवारी, द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 18 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 18/1 से 18/8 ही है। अतः प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 18 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। वकील वादी की बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यदि वादग्रस्त भूमि का कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा कर दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमारे द्वारा वकील वादी की बंटवारा प्रस्ताव पर बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रहीमपुरा स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 104, 105, 185 का मौका कमिश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अग्रलिखित तालिका के अनुसार बंटवारा किया जाता है, तहसीलदार रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अंतिम आदेश का भाग होगें तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

	निवासी सा. देह				
	कुल किता 01			कुल रकबा 0.8198 हैक्टैयर	
2.	अमरुद्दीन पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/6, अलानूर पुत्र मस्ती खां हि. 1/6, गफूरी पुत्री मस्ती खां हिस्सा 1/6, धन्नी पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/6, सायरी पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/6, आमना बाना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/36, जंगबाज पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/36, नाबा. फिरोजा पुत्री कमरू खां सरंक्षक माता हिस्सा 1/36, माफा बानो पत्नि कमरू खां हिस्सा 1/36, मोहसीना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/36, हैदर अली पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/36 सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	105/1	0.8198	बंजर 01 (0.0108) चाही 03 (0.8090)	गुलाबी
	कुल किता 01			कुल रकबा 0.8198 हैक्टैयर	
3.	खाजू खां पुत्र हस्ती खां जरिये वारिसान हिस्सा 1/4, सुगरी पत्नी हस्ती खां हिस्सा 1/4, ताजू खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, नजीर खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह	105/3	0.8198	बंजर 01 (0.0108) चाही 03 (0.8090)	हरा
	कुल किता 01			कुल रकबा 0.8198 हैक्टैयर	
4.	अब्दुलरहमान पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20 ,अमरुद्दीनखां पुत्र मस्तीखां हिस्सा– 1/18 ,अलानूरखां पुत्र मस्तीखां हिस्सा– 1/18, आमनाबानो पुत्री कमरुखां हिस्सा– 1/108,इकरामुद्दीन पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20,उस्मान पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20, गफूरी पुत्री मस्ती खां हिस्सा– 1/18, जंगबाज पुत्र कमरुखां हिस्सा– 1/108, ताजूखां पुत्र हस्तीखां हिस्सा– 1/12, धन्नी पुत्री मस्ती खां हिस्सा– 1/18, नजीरखां पुत्र हस्तीखां हिस्सा– 1/12 , नूरबाना पुत्री सवाईखां हिस्सा– 1/24, नाबालिग फिरोजा पुत्री कमरुखां सरंक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/108, बदरूजमा पुत्र सवाईखां हिस्सा 1/20, खाजू खां जरिये वारिसान हिस्सा 1/12, माफाबानो पत्नि कमरुखां हिस्सा 1/108 , मोहसीना पुत्री कमरुखां हिस्सा 1/108, रमजानी पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20 जाति– देशवाली मुसलमान सा. देह खातेदार, सुगरी पत्नि हस्तीखां हिस्सा– 1/12 सुबान पुत्री सवाईखां हिस्सा– 1/24 , सायरी पुत्री मस्ती खां हिस्सा– 1/18, हैदरअली पुत्र कमरुखां हिस्सा– 1/108 सर्व जाति– मुसलमान सा. देह खातेदार,	104	0.0971	गै.मु. चाह	गहरा नीला
	कुल किता 01		कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर		
खसरा संख्या 185					
1.	खाजू खां पुत्र हस्ती खां जरिये वारिसान हिस्सा 1/4, सुगरी पत्नी हस्ती खां हिस्सा 1/4, ताजू खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, नजीर खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह	185/1	0.7955	बारानी 01	गुलाबी
	कुल किता 01		कुल रकबा 0.7955 हैक्टै.		

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

18. खाजू खां पुत्र हस्तीखां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0 मृतक जरिये वारिसान
18/1 मरजीना पुत्र खाजू खां
18/2 महबूब पुत्र खाजू खां
18/3 माफिया बानो पत्नी खाजू खां
18/4 मो. नोशाद पुत्र खाजू खां
18/5 युसूफ खां पुत्र खाजू खां
18/6 रेशमा पुत्री खाजू खां
18/7 रसीदा पुत्री खाजू खां
18/8 सहाबुद्दीन पुत्र खाजू खां

19. ताजू खां पुत्र हस्तीखां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राज0
20. नसीर खां पुत्र हस्तीखां जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
21. सुगरी पत्नी हस्तीखां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
23. उप पंजीयक, किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 188, 53 आर. टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर : 138/2020

निर्णय दिनांक : 09.03.2026

न्यायालय हाजा में वकील वादीगण की उपस्थिति में आज तारीख 09.03.2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी रजत यादव, आई.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया किया गया तथा वाद में तनकीवार विवेचन के उपरान्त दिनांक 07.08.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें मस्ती खां पुत्र छीतर खां की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पूर्वाधिकारी कमरू खां पुत्र मस्ती खां के नाम खोले गये विरासत नामान्तरण संख्या 151 दिनांक 27.08.1998 को शून्य घोषित किया गया, वादग्रस्त भूमि ख0नं0 104 रकबा 00—12—00, ख0नं0 105 रकबा 15—04—00 एवं ख0नं0 185 रकबा 14—15—00 कुल किता 3 कुल रकबा 30—11—00 में वादीयां सं0 1 को 1/18 हिस्से का, वादीया सं0 2 को 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/18 हिस्से, प्रतिवादी सं0 2 को 1/18 हिस्से, प्रतिवादी सं0 3 लगायत 8 को संयुक्ततः 1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 9 को 1/18 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये तथा तथा तहसीलदार किशनगढ़ को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। मौका कमिश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 22.01.2026 के अनुसार अग्रलिखित तालिका में वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवारा किया जाता है, तहसीलदार रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अंतिम डिक्री का भाग होगें:—

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	रंग
1.	अब्दुल रहमान पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, इकारामुद्दीन पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, उस्मान पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, नूरबाना पुत्री सवाई खां हिस्सा 1/8, बदरूजमा पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, रजमानी पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, सुबान पुत्री सवाई खां हिस्सा 1/8 सर्वगण जाति मुसलमान सर्वगण	105/2	0.8198	बंजर 01 (0.0108) चाही 03 (0.8090)	आसमानी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास रजत यादव आई.ए.एस.

1. गफूरी पत्नि स्व0 श्री ताजू खां (पुत्री स्व0 श्री मस्ती खा) जाति मुसलमान निवासिन ग्राम ऊंटड़ा तहसील व जिला अजमेर राज0
2. धन्नी पत्नी स्व. श्री शमसू खां (पुत्री स्व. श्री मस्ती खां) जाति मुसलमान, निवासिन ग्राम उंटडा, तहसील व जिला अजमेर, राजस्थान जरिये वाद मित्र जाईन्दा पुत्री खातून पुत्री स्व. श्री शमसू खां, (पत्नी दिलदार) जाति मुसलमान, निवासिन पनेर, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर एवं शहनाज पुत्री स्व. श्री शमसू खां (पत्नी मुराद) जाति मुसलमान निवासिन पनेर, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राज0
3. इकरामुद्दीन पुत्र मनवर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम चीताखेडा किशनगढ।
4. फरीद खां पुत्र मोहम्मद हनीफ जाति मुसलमान निवासी ग्राम ऊंटडा अजमेर।

वादी

बनाम

1. अलानूर पुत्र स्व. श्री मस्ती खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
2. अमरूद्दीन पुत्र स्व. श्री मस्ती खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
3. माफा बानो पत्नी स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
4. जंगबाज पुत्र स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
5. हैदर अली पुत्र स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
6. आमना बानो पुत्री स्व. श्री कमरू खां, जातिं मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
7. मोहसीना पुत्री स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
8. फिरोजा पुत्री स्व. श्री कमरू खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
9. श्रीमती सायरी पत्नी बादर खा (पुत्री मस्ती खा), जाति मुसलमान, निवासिन ग्राम चीताखेडा, तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राज0
10. रहमती पत्नी सवाई खां, जाति मुसलमान निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर, राज0
11. बदरूजमा पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0
12. उस्मान पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
13. रमजानी पुत्र सवाई खां जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
14. अब्दुल रहमान पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
15. इकरामुद्दीन पुत्र सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0
16. नूरबाना पुत्री सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राज0 नाम तर्क
17. सुबान पुत्री सवाई खां, जाति मुसलमान, निवासी रहीमपुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राज0

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ़

	मुसलमान सा. देह खातेदार,				
कुल किता 01		कुल रकबा 0.0971 हैक्टेयर			
खसरा संख्या 185					
1.	खाजू खां पुत्र हस्ती खां जरिये वारिसान हिस्सा 1/4, सुगरी पत्नी हस्ती खां हिस्सा 1/4, ताजू खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, नजीर खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह	185/1	0.7955	बारानी 01	गुलाबी
कुल किता 01		कुल रकबा 0.7955 हैक्टै.			
2.	अमरूद्दीन पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/4, अलानूर पुत्र मस्ती खां हि. 1/4, सायरी पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/4, आमना बाना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/24, जंगबाज पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/24, नाबा. फिरोजा पुत्री कमरू खां सरंक्षक माता हिस्सा 1/24, माफा बानो पत्नि कमरू खां हिस्सा 1/24, मोहसीना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/24, हैदर अली पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/24 सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	185/2	0.5304	बारानी 01	आसमानी नीला
कुल किता 01		कुल रकबा 0.5304 हैक्टै.			
3.	इकरामुद्दीन पुत्र मनवर खां हिस्सा 8/11, सा. चीताखेडा फरीद खान पुत्र मोहम्मद हनीफ हि. 3/11 सा. ऊंटडा अजमेर खा.	185/3	0.3646	बारानी 01	काला
कुल किता 01		कुल रकबा 0.3646 हैक्टै.			
4.	अब्दुल रहमान पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, इकारामुद्दीन पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, उस्मान पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, बदरूजमा पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, रजमानी पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, सुबान पुत्री सवाई खां हिस्सा 1/7 सर्वगण जाति मुसलमान सर्वगण निवासी सा. देह	185/4	0.6961	बारानी 01	नीला
कुल किता 01		कुल रकबा 0.6961			

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	रंग
1.	अब्दुल रहमान पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, इकारामुद्दीन पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, उस्मान पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, नूरबाना पुत्री सवाई खां हिस्सा 1/8, बदरूजमा पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, रजमानी पुत्र सवाई खां हिस्सा 3/20, सुबान पुत्री सवाई खां हिस्सा 1/8 सर्वगण जाति मुसलमान सर्वगण निवासी सा. देह	105/2	0.8198	बंजर 01 (0.0108) चाही 03 (0.8090)	आसमानी
	कुल किता 01			कुल रकबा 0.8198 हैक्टैयर	
2.	अमरूद्दीन पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/6, अलानूर पुत्र मस्ती खां हि. 1/6, गफूरी पुत्री मस्ती खां हिस्सा 1/6, धन्नी पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/6, सायरी पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/6, आमना बानो पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/36, जंगबाज पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/36, नाबा. फिरोजा पुत्री कमरू खां सरंक्षक माता हिस्सा 1/36, माफा बानो पत्नि कमरू खां हिस्सा 1/36, मोहसीना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/36, हैदर अली पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/36 सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	105/1	0.8198	बंजर 01 (0.0108) चाही 03 (0.8090)	गुलाबी
	कुल किता 01			कुल रकबा 0.8198 हैक्टैयर	
3.	खाजू खां पुत्र हस्ती खां जरिये वारिसान हिस्सा 1/4, सुगरी पत्नी हस्ती खां हिस्सा 1/4, ताजू खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, नजीर खां पुत्र हस्ती खां हिस्सा 1/4, सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह	105/3	0.8198	बंजर 01 (0.0108) चाही 03 (0.8090)	हरा
	कुल किता 01			कुल रकबा 0.8198 हैक्टैयर	
4.	अब्दुलरहमान पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20 ,अमरुद्दीनखां पुत्र मस्तीखां हिस्सा– 1/18 ,अलानूरखां पुत्र मस्तीखां हिस्सा– 1/18, आमनाबानो पुत्री कमरुंखां हिस्सा– 1/108,इकरामुद्दीन पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20,उस्मान पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20, गफूरी पुत्री मस्ती खां हिस्सा– 1/18, जंगबाज पुत्र कमरुखां हिस्सा– 1/108, ताजूखां पुत्र हस्तीखां हिस्सा– 1/12, धन्नी पुत्री मस्ती खां हिस्सा– 1/18, नजीरखां पुत्र हस्तीखां हिस्सा– 1/12 , नूरबाना पुत्री सवाईखां हिस्सा– 1/24, नाबालिग फिरोजा पुत्री कमरुखां सरंक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/108, बदरूजमा पुत्र सवाईखां हिस्सा 1/20, खाजू खां जरिये वारिसान हिस्सा 1/12, माफाबानो पत्नि कमरुखां हिस्सा 1/108 , मोहसीना पुत्री कमरुखां हिस्सा 1/108, रमजानी पुत्र सवाईखां हिस्सा– 1/20 जाति– देशवाली मुसलमान सा. देह खातेदार, सुगरी पत्नि हस्तीखां हिस्सा– 1/12 सुबान पुत्री सवाईखां हिस्सा– 1/24 , सायरी पुत्री मस्ती खां हिस्सा– 1/18, हैदरअली पुत्र कमरुखां हिस्सा– 1/108 सर्व जाति–	104	0.0971	गै.मु. चाह	गहरा नीला

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

2.	अमरूद्दीन पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/4, अलानूर पुत्र मस्ती खां हि. 1/4, सायरी पुत्र मस्ती खां हिस्सा 1/4, आमना बाना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/24, जंगबाज पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/24, नाबा. फिरोजा पुत्री कमरू खां सरंक्षक माता हिस्सा 1/24, माफा बानो पत्नि कमरू खां हिस्सा 1/24, मोहसीना पुत्री कमरू खां हिस्सा 1/24, हैदर अली पुत्र कमरू खां हिस्सा 1/24 सर्वगण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	185/2	0.5304	बारानी 01	आसमानी नीला
कुल किता 01		कुल रकबा 0.5304 हैक्टै.			
3.	इकरामुद्दीन पुत्र मनवर खां हिस्सा 8/11, सा. चीताखोडा फरीद खान पुत्र मोहम्मद हनीफ हि. 3/11 सा. ऊंटडा अजमेर खा.	185/3	0.3646	बारानी 01	काला
कुल किता 01		कुल रकबा 0.3646 हैक्टै.			
4.	अब्दुल रहमान पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, इकारामुद्दीन पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, उस्मान पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, बदरूजमा पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, रजमानी पुत्र सवाई खां हिस्सा 6/35, सुबान पुत्री सवाई खां हिस्सा 1/7 सर्वगण जाति मुसलमान सर्वगण निवासी सा. देह	185/4	0.6961	बारानी 01	नीला
कुल किता 01		कुल रकबा 0.6961			

असप्त मेरे द्वारा आज दिनांक 09/3/2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)